कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़

दिनांकः– 17.08.2022

छात्र संघ चुनाव सत्र 2022–23
सूचना संख्या –04
उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदण्ड

1. छात्रसंघ के चारो पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पर प्रत्यक्ष (सीधे) चुनाव होगें।
2. पदाधिकारियों के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता निम्नानुसार होगी :–

क्र.स.	पद	महाविद्यालय
1.	अध्यक्ष एवं महासचिव	स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्यनरत छात्र
2.	उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा ऊपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र

3. प्रथम वर्ष के छात्र केवल कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ेंगे अन्य पदों के लिए नहीं।
4. त्रिवर्षीय कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र जिस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग अथवा उसके संगठन/सम्बद्धतक महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से नियमित छात्रा के रूप में (अर्हकारी) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो तभी वे छात्रसंघ के अध्यक्ष एवं महासचिव पदों पर चुनाव लड़ने योग्य माने जायेंगे।
5. चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम आयु स्नातक के लिए 22 वर्ष रहेगी।
6. चुनाव लड़ने वाले छात्र की आयु की गणना नामांकन पत्र दाखिल करने के समय से की जायेगी।
7. उम्मीदवार महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
8. उम्मीदवार के खाते में किसी भी परिस्थिति में कोई शैक्षणिक बकाया नहीं होना चाहिए। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्याशी के कोई शैक्षणिक बकाया से अर्थ है कि उसके कोई "डयूपेपर" अथवा "पूरक" नहीं होना चाहिये।
9. प्रत्याशी में किसी भी विभाग/पुस्तकालय एवं किसी भी प्रकार का वित्तीय बकाया नहीं होना चाहिए।
10. उम्मीदवार का पूर्व में कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए अर्थात वह कभी भी किसी आपराधिक कृत्य या दुराचरण के लिए विचारित (ज्तपमक) या दोष सिद्ध नहीं किया गया हो। यह भी कि उम्मीदवार को किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं बनाया गया हो।
11. छात्र संघ चुनाव 2022 के पदाधिकारी पद के लिए पूर्व में उम्मीदवार रहे हुये विद्यार्थी पदाधिकारी पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते।
12. एक ही प्रत्याशी द्वारा एक से अधिक पदों के लिए नामांकन पत्र भर दिये जाने पर उसके सभी पदों से सम्बन्धित नामांकन पत्र अवैध माने जावेगें।
13. महाविद्यालय परिसर के बाहर चुनाव प्रचार एवं चुनाव सम्बन्धी सभी प्रकार की गतिविधियाँ (लिंगदोह समिति की अनुशंषा के अनुसार) प्रतिबंधित रहेगी।
14. महाविद्यालय प्रशासन एवं छात्रसंघ यह सुनिश्चित करेगें कि चुनाव तिथि से एक माह की अवधि में अध्यक्ष द्वारा महाविद्यालय प्रशासन की सहमति से छात्रसंघ कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाये तथा एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ़

मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकीय
राजकीय कन्या महाविद्यालय, हनुमानगढ